ई-ट्यूटोरियल

1. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल पर महत्वपूर्ण जानकारी
2. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के संक्षिप्त चरण
3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

1. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल पर महत्वपूर्ण जानकारी

- टैन **ट्रेसेज़** की **वेबसाइट** पर **पंजीकृत होना** चाहिए

- यह ई-ट्यूटोरियल सभी चरणों में उपयोगकर्ता आईडी भूलते हुए सही केवाईसी विवरण भरने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वित्तीय वर्ष, तिमाही और प्रपत्र प्रकार के अनुरूप **केवल मूल टीडीएस विवरण की टोकन संख्या** ही दर्ज करें। **कृपया डेटा को कॉपी / पेस्ट न करें।**

- आपके द्वारा दाखिल की गयी नवीनतम विवरण के आधार पर स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार से संबंधित सिन / पैन विवरण दर्ज करें।

ध्यान दें:-

- उपयोगकर्ता पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में परिवर्तन कर सकते हैं
- मौजूदा पासवर्ड भी बदल सकते हैं.

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

2. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के संक्षिप्त चरण

ट्रेसेज वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर जाएं। "**ट्रेसेज**" मुख्य पृष्ठ प्रदर्शित होगा, आगे बढ़ने के लिए "**जारी रखें**" पर क्लिक करें।

- **चरण 1** : "**उपयोगकर्ता आईडी भूल**" पर क्लिक करें और "**उपयोगकर्ता का प्रकार**" "कटौतीकर्ता" के रूप में चुनें।
  - ✓ संबंधित आवंटित टैब में टैन नंबर प्रदान कर दर्शाए प्रारूप मे सत्यापन कोड देने के बाद "**प्रोसीड**" बटन पर क्लिक करें।
- **चरण 2**: **केवाईसी सत्यापन :** वित्तीय वर्ष, फॉर्म प्रकार और तिमाही जिसके लिए केवाईसी आवश्यक है, स्वत: प्रदर्शित होगा। स्क्रीन पर दर्शाये गए वित्तीय वर्ष, तिमाही और प्रपत्र प्रकार के अनुरूप टीडीएस की मूल विवरण का टोकन नंबर दर्ज करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और प्रपत्र प्रकार के अनुरूप दाखिल की गयी नवीनतम टीडीएस विवरण से चालान / पैन का विवरण दर्ज़ करें **डाटा कॉपी / पेस्ट न करे**
- **चरण 3** : पंजीकृत मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए स्वत: प्रदर्शित होगा (आवश्यकता होने पर मोबाइल नंबर परिवर्तित किया जा सकता है)। प्रोसीड 'बटन पर क्लिक करने पर, वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन के लिए पंजीकृत / परिवर्तित मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- **चरण 4** : उपयोगकर्ता आईडी को रीसेट करें। मौजूदा पासवर्ड और ईमेल-आईडी को भी बदला जा सकता है।
- उपरोक्त सभी चरणों के पूरा होने के बाद, कटौतीकर्ता को पंजीकृत ईमेल आईडी सक्रियण लिंक प्राप्त होगा और मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड होगा, जिसका उपयोग खाते की सक्रियण के लिए किया जा सकता है। कटौतीकर्ता को उपयोगकर्ता आईडी रीसेट करने के 48 घंटे के भीतर खाते को सक्रिय करने की आवश्यकता है।
- खाते के सक्रियण के बाद, उपयोगकर्ता "**ट्रेसेज**" वेबसाइट पर लॉग इन कर पाएंगे।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

ट्रेसेज वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर जाएं

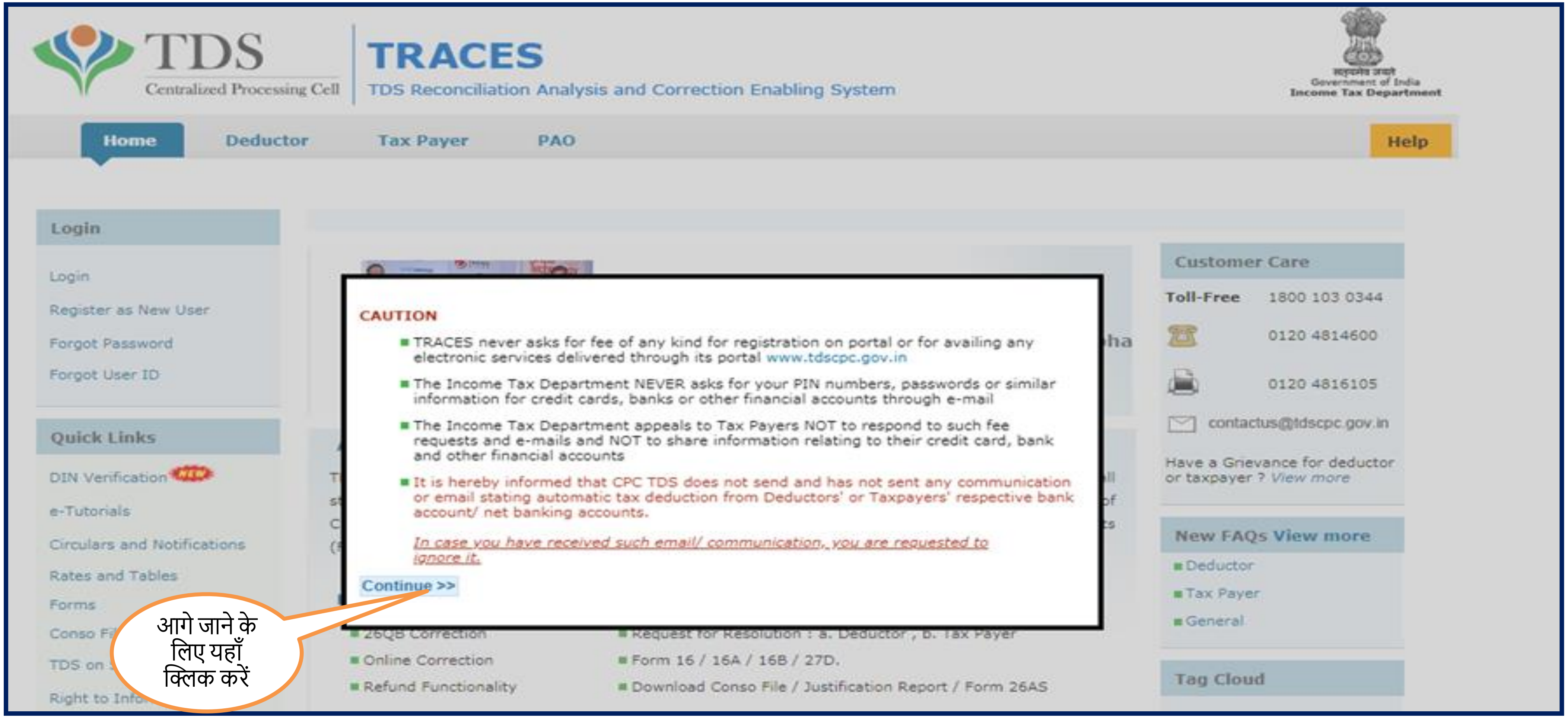

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 1 : "उपयोगकर्ता आईडी भूल" पर क्लिक करें और "उपयोगकर्ता का प्रकार" कटौतीकर्ता के रूप में चुनें

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 1 (जारी..): कटौतीकर्ता लॉगइन पृष्ठ पर उपयोगकर्ता आईडी भूल पर क्लिक करें

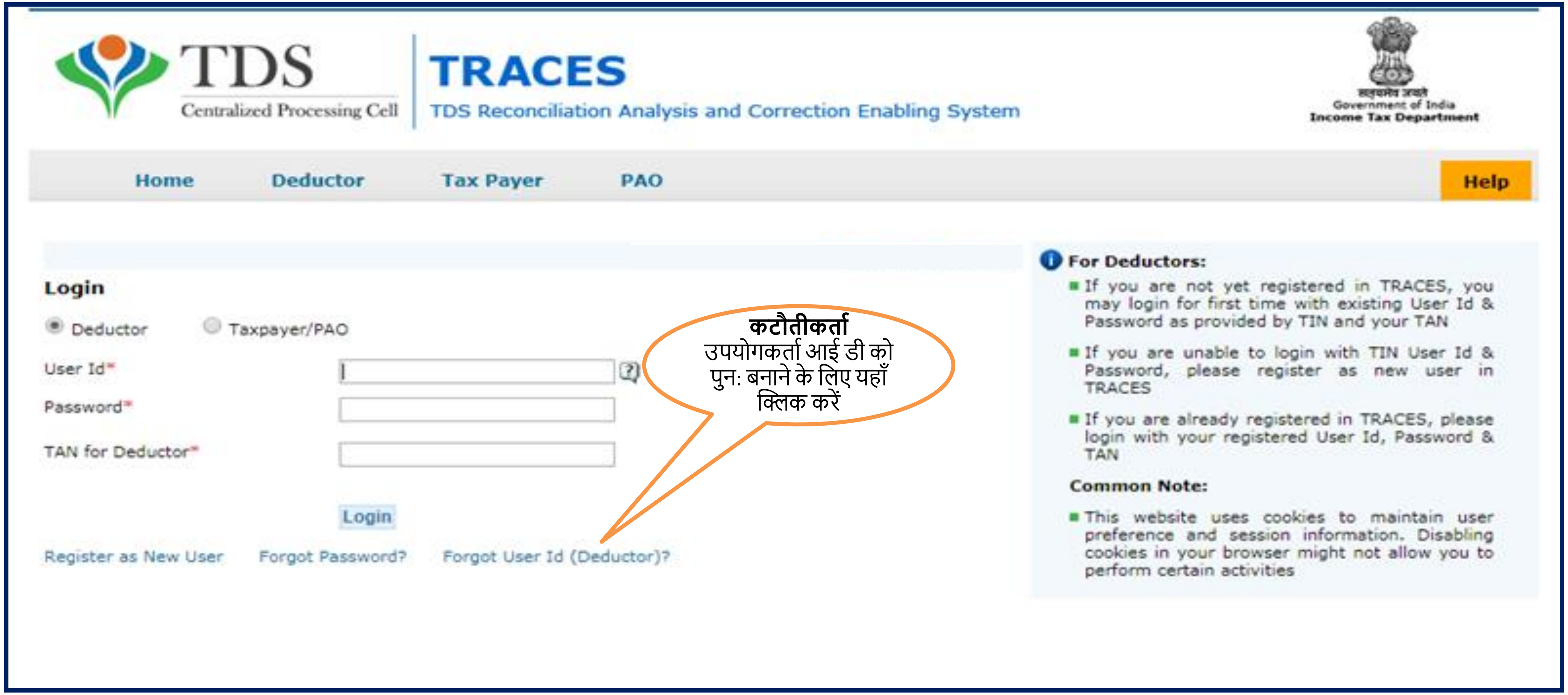

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 1 (जारी.): आवंटित टैब में टैन नंबर प्रदान कर दर्शाए प्रारूप मे सत्यापन कोड दर्ज़ करें और "प्रोसीड" बटन पर क्लिक करें

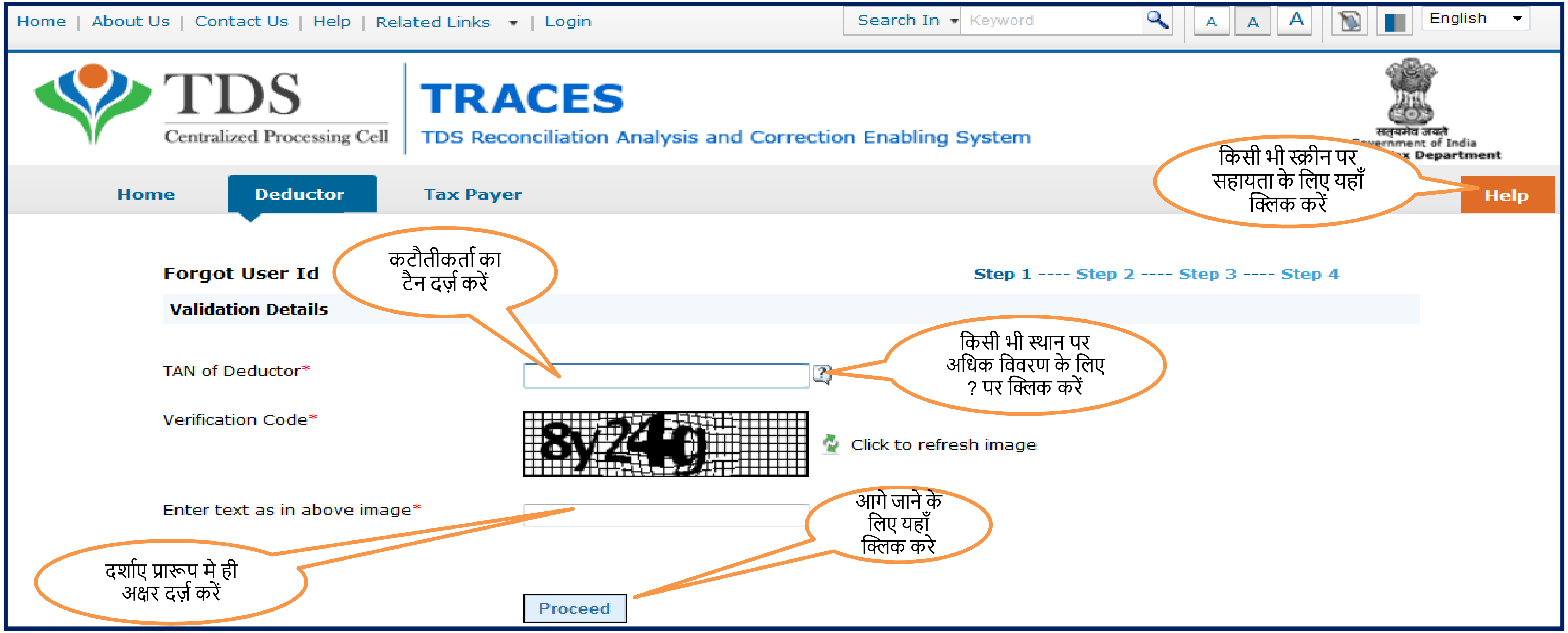

"प्रोसीड" बटन पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन केवाईसी सत्यापन की आएगी

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

वैध केवाईसी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

- केवाईसी विस्तृत विवरण सत्यापन के बाद प्रमाणीकरण कोड उत्पन्न होता है, जो उसी फॉर्म टाइप , वित्तीय वर्ष और तिमाही के लिए एक ही कैलेंडर दिन के लिए वैध रहता है।
- **टोकन नंबर** स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और प्रपत्र प्रकार के **नियमित (मूल) टीडीएस विवरण** का होना चाहिए।
- CIN/BIN विवरण ऊपर उल्लिखित वित्त वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार के अनुरूप टीडीएस विवरण में उल्लिखित चालान/पुस्तक प्रविष्टि के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए।
- सरकारी कटौतीकर्ता संबंधित टीडीएस विवरण में उल्लिखित केवल जमा की तिथि और ट्रांसफर वाउचर राशि दर्ज कर सकते हैं।
- राशि दशमलव के दो अंको तक में हो (जैसे 1234.56).
- केवाईसी के लिए टीडीएस / टीसीएस विवरण में सूचित मे CIN / BIN विवरण के अनुरूप केवल वैध पैन को ही भाग 2 में दर्ज किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर उपलब्ध गाइड को वैध संयोजनों के लिए संदर्भित किया जा सकता है।
- अधिकतम 3 अलग वैध पैन और उनकी संबंधित राशि को दर्ज किया जाना चाहिए।
- यदि चालान में तीन से कम ऐसे संयोजन हैं, तो उपयोगकर्ता को सभी (या तो दो या एक) दर्ज करना होगा।
- सीडी रिकार्ड संख्या केवल उसी चालान के मामले में अनिवार्य है जब टीडीएस / टीसीएस विवरण में एक से अधिक बार उल्लेख किया गया हो।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

केवाईसी को मान्य करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

➢ **विशिष्ट पैन और राशि संयोजन के उदाहरण**

परिस्थिति 1 :- यदि टीडीएस विवरण में एक ही पैन की 3 कटौती पंक्तियाँ हैं यानी AAAAA0000N और इसी से सम्बंधित राशि 1000.00, 1000.00 और 2000.00 हैं, तो कटौतीकर्ता को इस तरह से विवरण भरने की आवश्यकता है :

a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 2000.00

परिस्थिति 2 :- यदि टीडीएस विवरण में एक ही पैन की 4 कटौती पंक्तियाँ हैं यानी AAAAA0000N और इसी से सम्बंधित राशि : 1000.00, 1000.00 , 1500.00 और 2000.00, तो कटौतीकर्ता को इस तरह से विवरण भरने की आवश्यकता है :

a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 1500.00
c) AAAAA0000N 2000.00

ध्यान दें :- आगे के निर्देशन के लिए कृपया **ट्रेसेज़ पोर्टल** पर उपलब्ध गाइड 1 और गाइड 2 देखें।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 2 : केवाईसी प्रमाणीकरण

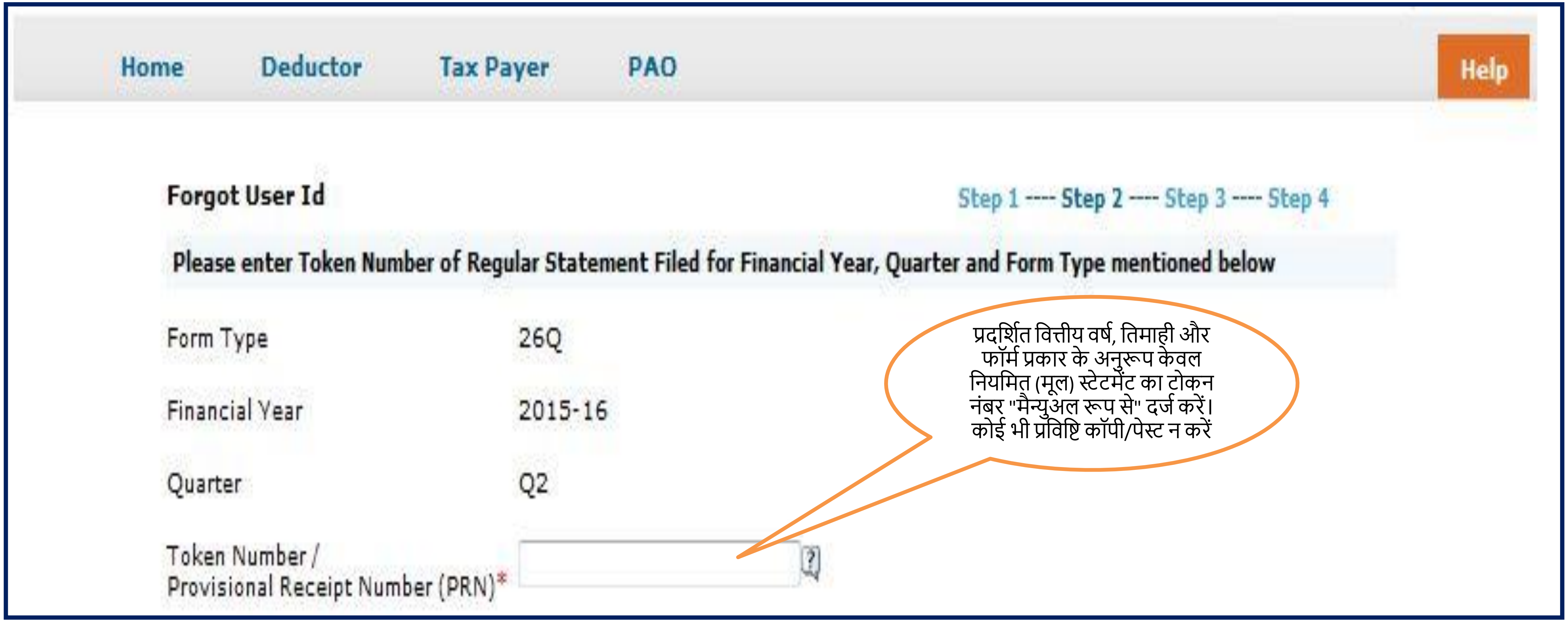

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 2 (जारी..) : केवाईसी प्रमाणीकरण

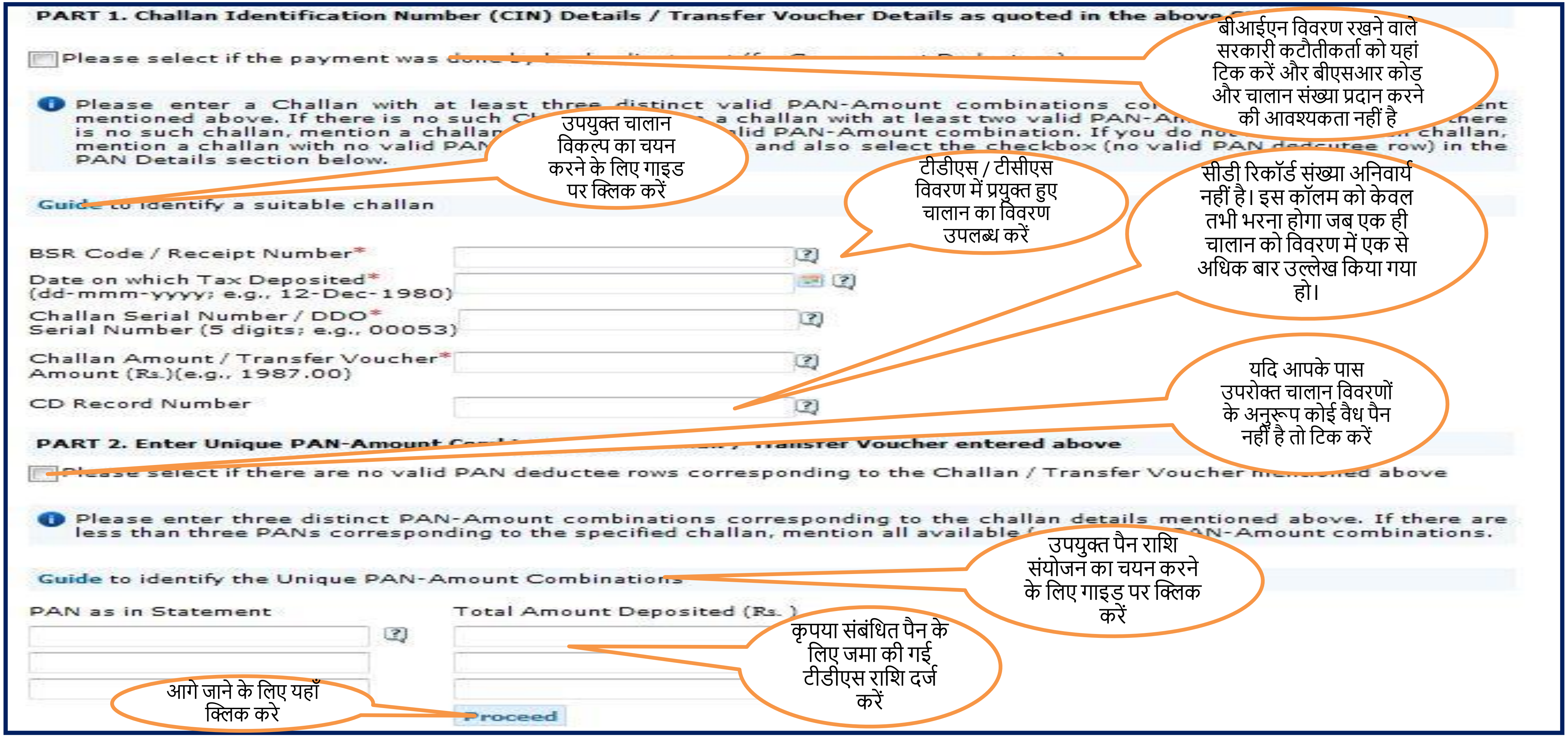
PART 1. Challan Identification Number (CIN) Details / Transfer Voucher Details as quoted in the above

Please select if the payment was

Please enter a Challan with at least three distinct valid PAN-Amount combinations co ... mentioned above. If there is no such C ... a challan with at least two valid PAN-A ... is no such challan, mention a challan ... lid PAN-Amount combination. If you do no ... challan, mention a challan with no valid PAN ... and also select the checkbox (no valid PAN deductee row) in the PAN Details section below.

Guide to identify a suitable challan

BSR Code / Receipt Number*

Date on which Tax Deposited* (dd-mmm-yyyy; e.g., 12-Dec-1980)

Challan Serial Number / DDO* Serial Number (5 digits; e.g., 00053)

Challan Amount / Transfer Voucher* Amount (Rs.)(e.g., 1987.00)

CD Record Number

PART 2. Enter Unique PAN-Amount ... Transfer Voucher entered above

Please select if there are no valid PAN deductee rows corresponding to the Challan / Transfer Voucher ... above

Please enter three distinct PAN-Amount combinations corresponding to the challan details mentioned above. If there are less than three PANs corresponding to the specified challan, mention all available ... AN-Amount combinations.

Guide to identify the Unique PAN-Amount Combinations

PAN as in Statement

Total Amount Deposited (Rs.)

Proceed

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 3 : पंजीकृत मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए स्वत: प्रदर्शित होगा

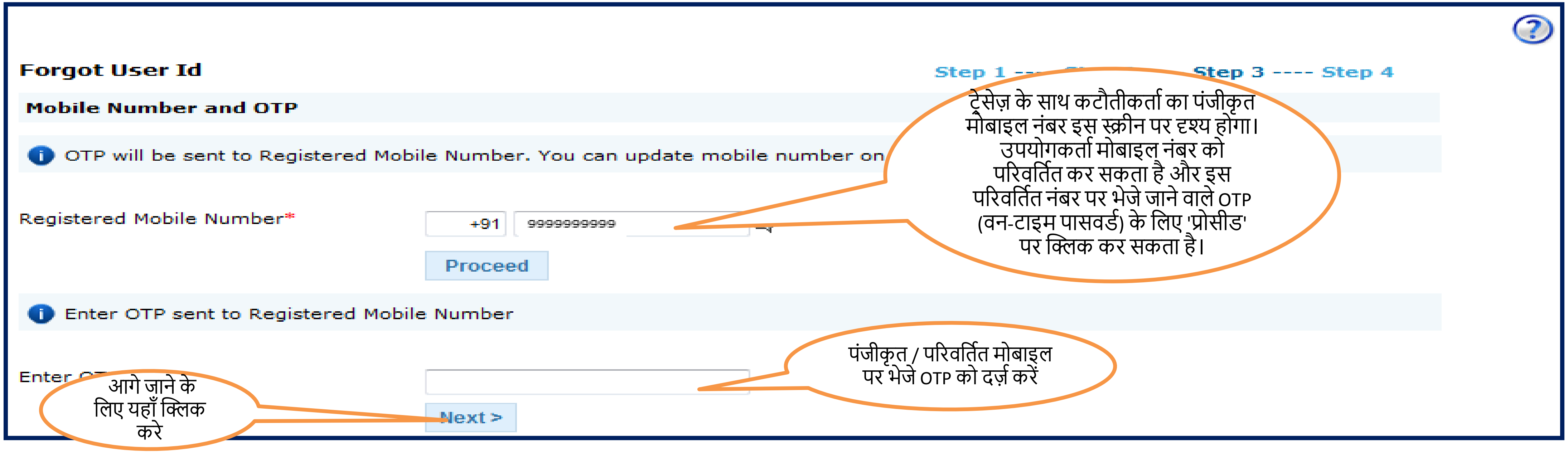

- इस स्क्रीन पर परिवर्तित किए गए मोबाइल नंबर को ट्रेसेज़ में कटौतीकर्ता की प्रोफ़ाइल में भी सहेजा जाएगा।
- पूर्व- दृश्य पंजीकृत मोबाइल पर OTP भेजा जायेगा
- कटौतीकर्ता पंजीकृत मोबाइल नंबर विंडो में नए मोबाइल नंबर को डाल सकता है। **OTP** परिवर्तित किए गये मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 4 : उपयोगकर्ता आईडी को रीसेट करें। मौजूदा पासवर्ड और ईमेल-आईडी को भी बदला जा सकता है

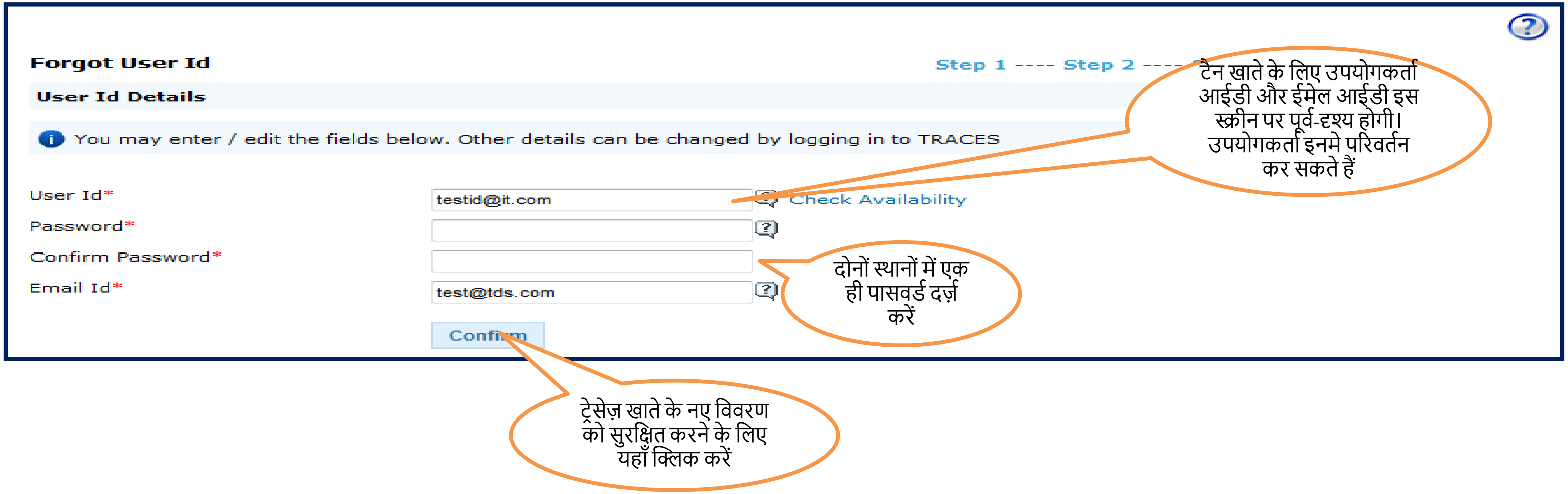

- इस स्क्रीन पर परिवर्तित किए गए विवरण को ट्रेसेज़ में कटौतीकर्ता की प्रोफ़ाइल में भी सुरक्षित किया जाएगा.
- उपयोगकर्ता आईडी बदलते समय, उपलब्धता की जांच करना उचित है।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 4 (जारी.): उपयोगकर्ता आईडी को रीसेट करने पर एक सफलता का संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा

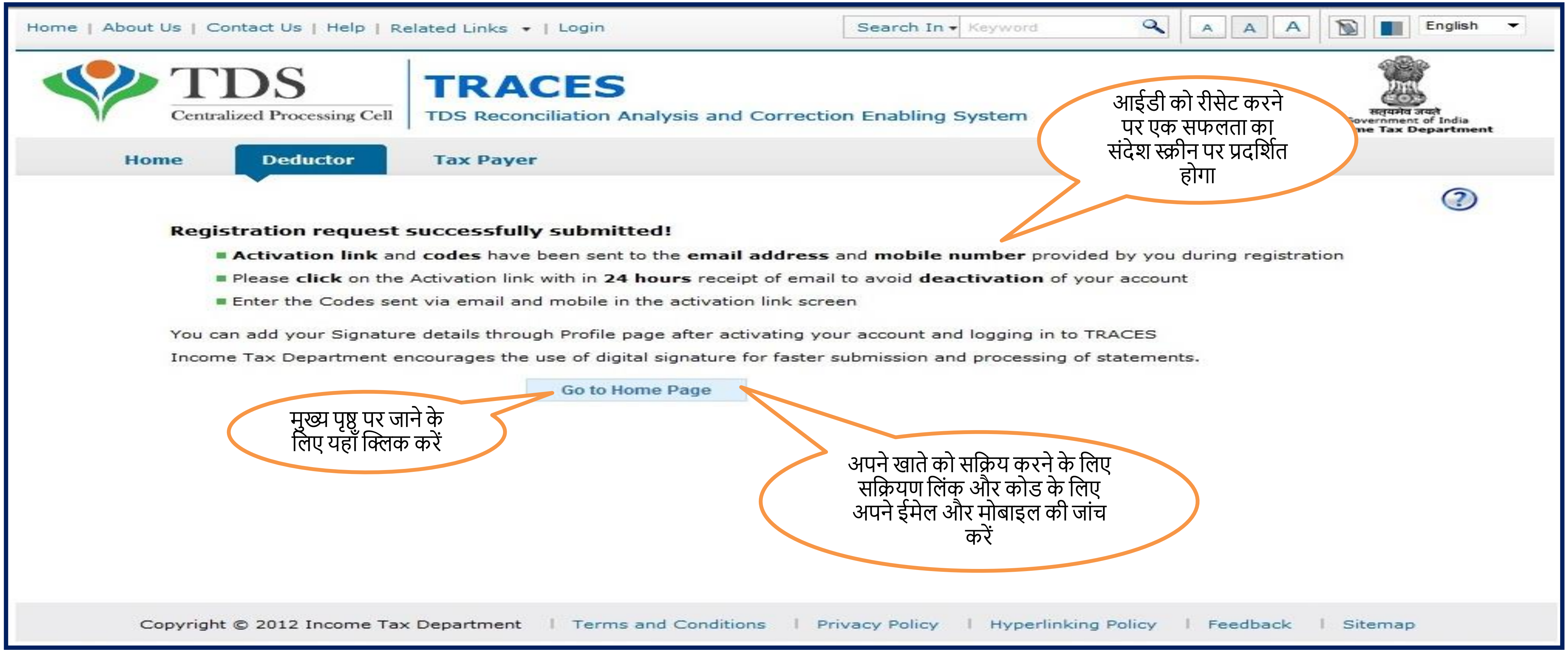

सक्रियण लिंक और कोड पंजीकृत ईमेल आई डी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। उपयोगकर्ता आईडी को रीसेट करने के 48 घंटे के भीतर कटौतिकर्ता को सक्रिय करना होगा।

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

चरण 4 (जारी..): खाता सक्रियण

3. उपयोगकर्ता आईडी (कटौतीकर्ता) भूल के लिए सचित्र गाइड

ट्रेसेज़ लॉगिन पृष्ठ

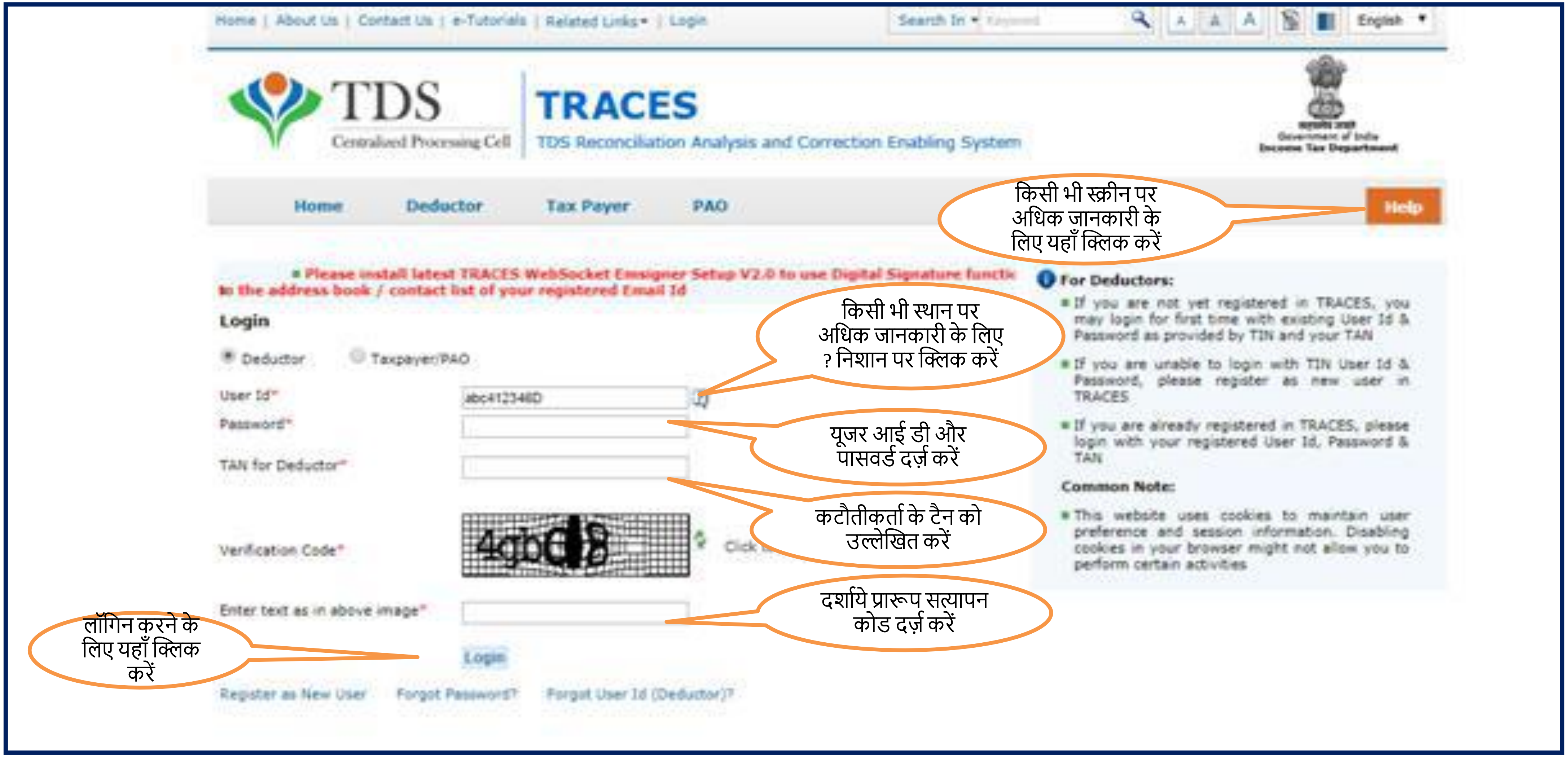

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

धन्यवाद

कृपया ध्यान दें:-

1) **प्रतिक्रिया के लिए** : आप हमें अपनी प्रतिक्रिया contactus@tdscpc.gov.in पर साझा कर सकते हैं

2) **किसी भी पूछताछ के लिए:** आप ट्रेसेज़ वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी शिकायत **"रिक्वेस्ट फॉर रेज़लुशन (समाधान के लिए अनुरोध)"** दर्ज़ कर सकते हैं।

3) **वेबसाइट से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए:** आप नीचे उल्लिखित नंबर पर अपने तथ्य रख सकते हैं

टोल फ्री :- 1800103 0344
दूरभाष संख्या :- 0120 4814600

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग